

AC-II
24/10/15

कार्यालय दिव्यांगी
कालूराम/बोलीलाल वर्मा

आज दिनांक 19/10/22 को पत्रवाली पेश हुई।
अभिगाएक मंगल को जयपुर कन्जोलेस/कार्य
बालिमार/कार्य के जाने के कारण,
न्यायिक कार्य को जयपुरी न्यायालय
जयपुर को जयपुर ही जाय क...
दस्तावेज दिनांक 25/11/22 को पेश हो।

25/11/22 पत्रवाली पेश हुई। वकील प्रायो इफ्फा।
वकालत प्रा.पुत्र न्यायिक वकील प्रायो इफ्फा।
हुनी इसी वास्ते आदेश 21/12/22 को
पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

21/12/22 पत्रवाली पेश हुई। वकील प्रायो इफ्फा।
समपाभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया
आसक्त वास्ते आदेश दिनांक 23/12/22
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

23/12/22 पत्रवाली पेश हुई। वकील प्रायो इफ्फा। प्रा.पुत्र
न्यायिक काम मूलवाद अपुलोकर विभा
गया। मूलवाद को अपुलोकर विभा
व्यापक विभा द्वारा निर्मित विभा हुआ
है। जयपुर मूलवाद को निर्मित हो चुका है तो
प्रा.पुत्र न्यायिक चलाए जाने का कोई अधिकार
नहीं है। अतः प्रा.पुत्र को भी व्यापक विभा जाता
है। पत्रवाली पेश लुभाए होकर इफ्फा मंगाई
कर लेवल लेवल मूलवाद रहे। निर्णय आदेश
दिनांक 23/12/22 को सरे बजसास हुआ।
गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

